राजस्थान आवासन मण्डल

राजस्थान आवासन मण्डल

(राजस्थान अधिनियम संख्या 4ए, 1970 के अर्न्तगत स्थापित)

जोधपुर शहर में चौपासनी आवासीय योजना में
''मारवाड़ अपार्टमेन्ट स्ववित्त पोषित योजना, 2014''

उच्च आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग (ब) बहुमंजिले (B+S+9) फ्लेट हेतु

दिनांक 20.02.2014 से 19.03.2014 तक

जोधपुर शहर के पूर्व पंजीकृत एवं नये आवेदकों हेतु

''मण्डल का है यह सपना, सुंदर घर हो सबका अपना''

''आवास भवन'', जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर
फोन : 0141-2740812, 2740113, 2740614
E-mail : rhbjpr@dataone.in
website : www.rhbonline.rajasthan.gov.in

आवेदन पुस्तिका का शुल्क 500/-

राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर

मारवाड़ अपार्टमेंट स्ववित्त पोषित योजना, 2014
सेक्टर – 14, चौपासनी आवासीय योजना, जोधपुर में
उच्च आयवर्ग एवं मध्यम आय वर्ग 'ब' बहुमंजिले (B+S+9) आवास हेतु

कार्यक्रम

1.	आवेदन–पत्र की 'बिक्री' प्रारम्भ की तिथि	20.02.2014
2.	आवेदन–पत्र बैंक में प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	19.03.2014
3.	योग्य आवेदकों की वरीयता निर्धारण हेतु अस्थाई सूची के प्रकाशन की तिथि	अंतिम तिथि के पश्चात् मंडल की वेबसाइट www.rhbonline.rajasthan.gov.in पर सार्वजनिक सूचना जारी की जावेगी।
4.	अस्थाई सूची पर आक्षेप प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	
5.	वरीयता निर्धारण हेतु योग्य आवेदकों की स्थाई सूची के प्रकाशन की तिथि	
6.	वरीयता निर्धारण हेतु लॉटरी आयोजन की तिथि	

सम्पर्क सूत्र

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक
राजस्थान आवासन मण्डल
जनपथ, ज्योति नगर
जयपुर–302015
फोन : 0141.2740667

उप आवासन आयुक्त
वृत–द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर
फोन : 0291–2711919

आवासीय अभियन्ता खण्ड – प्रथम
राजस्थान आवासन मण्डल जोधपुर
फोन : 0291–2700180

विशेष :

1.प्रस्तावित योजना के आवेदन पत्र, निम्न बैंक से राशि रूपये 500/– भुगतान कर प्राप्त करें एवं पूर्ण कर इन बैंक में निर्धारित तिथि तक जमा करवाये जा सकते हैं।

2. यदि आवेदन फार्म मण्डल की Website - www.rhbonline.rajasthan.gov.in से डाउनलोड करके प्रस्तुत किया जाता है तो पंजीकरण राशी के साथ फार्म की कीमत की राशि 500/– रूपये तथा प्रोसेसिंग फीस की राशि पंजीकरण राशि की DD/Pay Order में शामिल कर आवेदन पत्र के साथ जमा करवानी होगी।

यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
ओंकारमल सोमानी कॉलेज शाखा,
कमला नेहरू नगर, जोधपुर
फोन : 0291–2752592

ICICI **बैंक**
सेक्टर 18, चौ.हा.बोर्ड, जोधपुर
फोन : 0291–3247139

एच डी एफ सी बैंक
केशव कॉम्पलेक्स, पावटा, जोधपुर
फोन : 0291–5111405

राजस्थान आवासन मण्डल

मण्डल द्वारा निर्मित आवासों के लिये पंजीकरण हेतु सामान्य निबंधन एवं शर्ते

मारवाड़ अपार्टमेंट स्ववित्त पोषित योजना वर्ष 2014

सेक्टर – 14, चौपासनी आवासीय योजना, जोधपुर में
उच्च आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग 'ब' बहुमंजिले (B+S+9) आवास हेतु
(जोधपुर शहर के पूर्व पंजीकृत आवेदको के साथ नये आवदको के लिए)

राजस्थान आवासन मण्डल का गठन राज्य सरकार द्वारा अधिनियम संख्या 4/1970 के अन्तर्गत वर्ष 1970 में राज्य में मकानों की कमी पूर्ति हेतु किया गया था। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मण्डल वैज्ञानिक ढंग से कॉलोनियों का निर्माण कर स्वच्छ, स्वस्थ एवं उत्कृष्ट पर्यावरण में सभी आय वर्गों के लिए मकान उपलब्ध कराने के लिये कार्यरत है।

मण्डल का विशेष रूप से ध्यान आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग के लिए मकान उपलब्ध कराने पर केन्द्रित रहा है। यद्यपि यह कार्य काफी कठिन एवं चुनौतीपूर्ण है, फिर भी मण्डल द्वारा सदैव यह प्रयास रहा है कि वह ऐसे मकान बनाये जो हवादार हों, आरामदायक हों व जिनमें पानी, बिजली जैसी समस्त मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हों। मण्डल का यह भी प्रयास रहा है कि आवासों की कीमत तर्क संगत हो व संबंधित आय वर्ग के आवेदक की भुगतान क्षमता में हो।

मारवाड़ अपार्टमेंट स्ववित्त योजना 2014

जोधपुर शहर की आवास समस्या के निराकरण हेतु राजस्थान आवासन मण्डल समय–समय पर विभिन्न आवासीय योजनाएं यथा कुड़ी भगतासनी योजना, चौपासनी आवासीय योजना जोधपुर की सफलता के बाद, चौपासनी योजना में (B+S+9) आवासीय योजना आरम्भ करने जा रहा है। इस योजना में जन साधारण की आवश्यकता के अनुरूप समस्त सुविधाएं योजना अनुसार उपलब्ध होगी। इस योजना में उच्च आय वर्ग के 88 व मध्यम आय वर्ग 'ब' के 24 फ्लेट निर्मित किए जाने प्रस्तावित है। जिनका विवरण निम्नानुसार है–

आवासो की संख्या व आय वर्ग :

तालिका नं. 1

क्रम संख्या	आय वर्ग	अनुमानित संख्या	अनुमानित निर्मित क्षेत्रफल वर्ग मीटर में (Super Built up area)	अनुमानित निर्मित क्षेत्रफल वर्ग मीटर में (Built up Area)	अनुमानित लागत
1.	उच्च आय वर्ग	88	143.00 Sq. Mtr.	120.00 Sq. Mtr.	50.35 लाख
2.	मध्यम आय वर्ग 'ब'	24	112.00 Sq. Mtr.	90.00 Sq. Mtr.	37.80 लाख

नोटः–

(i) आवासों की अनुमानित संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

(ii) उक्त तालिका में आवासों की केवल अनुमानित लागत दर्शाई जा रही है। अतः मण्डल द्वारा आवास आवंटन के समय की अंतिम रूप से निर्धारित लागत ही मान्य होगी व इस हेतु आवंटी का कोई आक्षेप/विवाद मान्य नहीं होगा।

(iii) स्टिल्ट/ ओपन कवर्ड पार्किंग का आवंटन लॉटरी द्वारा किया जायेगा। जिन आवंटियों को स्टिल्ट पार्किंग आवंटित होगी उन्हें फ्लैट की लागत की 5 प्रतिशत राशि अलग से जमा करानी होगी तथा जिन आवंटियों को ओपन कवर्ड पार्किंग आवंटित होगी उन्हे फ्लैट की लागत की 2.5 प्रतिशत राशि अलग से जमा करानी होगी। इस राशि को आवंटन पत्र में उल्लेखित कर दिया जायेगा।

(iv) सामान्य क्षेत्रों के उपयोग, मरम्मत, देखभाल तथा सम्मिलित सेवाओं जैसे लिफ्ट, जीना (स्टेयरकेस), खुले स्थान, कम्पाउण्ड वाल, सड़क, पानी, बिलजी के खर्चे, स्ट्रीट लाइट, रेन–वाटर हार्वेस्टिंग, सुरक्षा गार्ड एवं अन्य विविध खर्चों हेतु प्रत्येक आवंटियों से तीन वर्ष में होने वाले अनुमानित खर्चों की एकमुश्त राशि को आवंटन पत्र में उल्लेखित किया जायेगा। उक्त राशि (आवास की लागत के अतिरिक्त आवंटी द्वारा देय होगी) का डी.डी. खण्ड कार्यालय में जमा कराने के उपरान्त ही फ्लैट का कब्जा दिया जायेगा। रख–रखाव हेतु गठित सोसायटी का प्रारंभिग रूप से आवासीय अभियन्ता कार्यवाहक अध्यक्ष होगा एवं कम से कम सात कब्जा प्राप्त करने वाले आवंटी कार्यकारिणी के सदस्य आवासीय अभियन्ता द्वारा मीटिंग बुलाकर मनोनीत किए जायेगें। संबंधित आवासीय अभियन्ता/ कार्यवाहक अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक सोसायटी का एक बैंक खाता खुलवाया जाएगा। संभावित 6 माह के रख–रखाव के खर्चे के बराबर राशि खाते में रखते हुए शेष राशि का एक वर्ष के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में एफ.डी.आर. बनवाई जाएगी। उप आवासन आयुक्त/ आवासीय अभियन्ता द्वारा अतिरिक्त प्राप्त राशि एवं योजना में प्रदत्त सुविधाओं के रख–रखाव पर किए जाने वाले व्यय का उचित एवं पारदर्शी लेखा–जोखा रखा जाएगा। गठित समिति के रजिस्ट्रेशन के पश्चात् इस योजना का विधिवत खर्चा व रखरखाव समिति द्वारा किया जायेगा।

आवासीय योजना की विशेषताऐं

यह आवासीय योजना जोधपुर चौपासनी आवासीय योजना जोधपुर में स्थित है इस आवासीय योजना की प्रमुख स्थानों से निम्न दूरी है।

1. जोधपुर रेलवे स्टेशन — 6.00 कि.मी.
2. सम्राट अशोक उद्यान — 1.5 कि.मी.

पंजीकरण की पात्रता एवं शर्तें–

आवासीय फ्लेटों का आवंटन राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के अन्तर्गत तथा इस संबंध में समय–समय पर जारी नियमों, उपनियमों, परिपत्रों एवं अनुबंधों के अनुसार किया जावेगा।

1. राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किसी भी वयस्क भारतीय नागरिक, जिसकी आवेदन भरने की तिथि को आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये, को आवासन मण्डल द्वारा आवेदित शहर में आवास का आवंटन किया जा सकता है। यदि किसी आवेदक को आवासन मण्डल द्वारा आवेदित शहर में किसी भी पद्धति यथा सामान्य/विशिष्ट पंजीकरण, स्ववित्त पोषित योजना, खुली बिक्री अथवा नीलामी द्वारा पूर्व में आवास आवंटन हो चुका है, तो भी वह इस योजना में आवास आवंटन का पात्र नहीं होगा।
2. इस योजना में राजस्थान आवासन मण्डल सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के प्रावधान के अनुसार पति अथवा पत्नी एवं आश्रितों में से कोई एक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अथवा संयुक्त रूप से एक ही आवास आवंटन की पात्रता रखेगा।
3. आवेदक स्वयं का अथवा आवेदक की पत्नी/पति या आवेदक पर आश्रित संबंधी के पास आवेदित शहर में फ्री होल्ड अथवा लीज होल्ड किसी भी प्रकार का पूर्ण या आंशिक आवास/भूखण्ड नहीं होना चाहिए।

4.(अ) आवेदक के पास आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी स्थायी खाता संख्या PAN होना चाहिए एवं आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। (जहां लागू हो)

(ब) आवेदक के पास भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र ''आधार कार्ड' (यू.आई.डी.) के नम्बर है तो आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उल्लेखित किये जाने चाहिए। (यदि प्राप्त कर लिये हो)

5. प्रस्तावित योजना में किसी संस्था/कम्पनी के नाम से भरा गया आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
6. यदि कोई पूर्व पंजीकृत आवेदक जिसे मण्डल द्वारा आवेदन की तिथि तक आवास/फ्लेट का आवंटन नहीं किया गया है और यदि वह इस योजना में आवेदन करता है तो उसकी पूर्व निर्धारित वरीयता के आधार पर आवास/फ्लेट आवंटन में प्राथमिकता दी जायेगी। इस बाबत आवेदक अपने पूर्व पंजीकरण एवं वरीयता क्रमांक का उल्लेख आवेदन फार्म में करेगा तथा शपथ–पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि उसका पूर्व पंजीकरण निरस्त नहीं किया गया है तथा न ही आवासन मण्डल द्वारा उसे कोई आवास/फ्लेट आवंटित किया गया है।

7. इस योजना में निर्धारित आय वर्ग से दो आय वर्ग ऊपर अथव दो आय वर्ग नीचे के आवेदक भी मण्डल नियमानुसार आवेदन कर सकेंगे। इस स्थिति में वरीयता निर्धारण हेतु मूल आय वर्ग के आवेदक को प्रथम वरीयता तथा मूल आय वर्ग से ऊपर के आय वर्ग के आवेदकों को द्वितीय वरीयता तथा मूल आय वर्ग से नीचे के आय वर्ग के आवेदक को तृतीय वरीयता दी जायेगी। वरीयता वर्षवार/श्रणीवार निर्धारित की जायेगी।

8. मण्डल द्वारा आवासों के आवंटन में आरक्षित कोटे का प्रावधान निम्नांकित श्रेणियों/वर्गों के लिए उनके समक्ष अंकित प्रतिशत के अनुसार होगाः–

तालिका नं. 2

सं.	आवेदक की श्रेणी	आरक्षित कोटा	उच्च आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग 'ब'
1.	वैतनिक श्रेणी प्रथम (केन्द्र सरकार के कर्मचारी तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के बोर्ड/निगम के कर्मचारी /प्राईवेट सेक्टर में कार्यरत कर्मचारी वैतनिक श्रेणी द्वितीय (राज्य सरकार के कर्मचारी व अधिकारी	18 प्रतिशत 10 प्रतिशत	16 9	4 3
2.	सामान्य श्रेणी केवल प्रोफेशनल, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउन्टेंट एवं प्राईवेट डॉक्टर	29 प्रतिशत 5 प्रतिशत	25 4	7 1
3.	मण्डल कार्मिक (बोर्ड कर्मचारी)	1 प्रतिशत	1	0
4.	अनुसूचित जाति	16 प्रतिशत	14	4
5.	अनुसूचित जन जाति	12 प्रतिशत	11	3
6.	वर्तमान एवं भूतपूर्व विधायक/सांसद/अधिस्वीकृत पत्रकार	1.5 प्रतिशत	1	0
7.	स्वतन्त्रता सैनानी	0.5 प्रतिशत	0	0
8.	भूतपूर्व सैनिक व सैनिकों की विधवाऐं	3 प्रतिशत	3	1
9.	विकलांग (अंधता/शारीरिक/मूक बधिर)	1 प्रतिशत 1 प्रतिशत 1 प्रतिशत	3	1
10.	वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिक एवं एशियाड/ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी	1 प्रतिशत	1	0
	योग	100 प्रतिशत	88	24

उपरोक्तानुसार किसी भी आरक्षित वर्ग में योग्य आवेदक आवास आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने की स्थिती में आरक्षित आवास सामान्य श्रेणी के आवेदको को आवंटित किया जायेगा।

नोटः– श्रेणीवार आरक्षित कोटा निर्धारण हेतु आवश्यक प्रमाण–पत्र/शपथ–पत्र अनिवार्य है अन्यथा आवेदक का पंजीकरण अवैतनिक श्रेणी प्रथम में मान लिया जायेगा।

9. ''आरक्षित श्रेणियों अर्थात अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से विकलांग/युद्ध में शहीद हुए सैनिक की विधवाओं/भूतपूर्व सैनिक/विधायक/सांसद/अधिस्वीकृत पत्रकार/स्वतंत्रता सैनानी/ वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिक एवं एशियाड/ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी के द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना अनुसार अपेक्षित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति के साथ शपथ–पत्र नवीनतम फोटो के साथ प्रस्तुत करना होगा।

10. यदि वर्तमान एवं कालान्तर में आवेदक के द्वारा दिये गये दस्तावेज/सूचनाऐं गलत, झूठी

अथवा असत्य पाई जाती है तो उस आवेदक का पंजीकरण/आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताये, नोटिस जारी कर निरस्त कर दी जायेगी तथा मण्डल के प्रचलित नियमों के अनुसार कटौति करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी।

11. इस योजना में तालिका 1 में दर्शाई गई आवासों की अनुमानित लागत की लगभग 10 प्रतिशत पंजीकरण राशि के साथ प्रोसेसिंग फीस के रूप में 2000/– रूपये आवेदन पत्र के साथ देय है जिस विवरण निम्नांकित सारणी के अनुसार है।

<u>तालिका – 03</u>

क्र. सं.	आयवर्ग	वार्षिक आय (रूपये में)	पंजीकरण राशि (रूपये में)	प्रोसेसिंग फीस	कुल देय राशि
1	**उच्च आय वर्ग**	**6,00,001/– एवं अधिक**	5,03,500/–	2000/–	5,05,500/–
2	**मध्यम आय वर्ग 'ब'**	**4,50,001/– से 6,00,000/– तक**	3,78,000/–	1500/–	3,79,500/–

(अ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक उपरोक्तानुसार निर्धारित पंजीकरण राशि की आधी राशि जमा करा सकते हैं।

(ब) राजस्थान आवासन मण्डल किये जाने वाले प्रशासनिक व्यय के दृष्टिगत नवीन पंजीकरण की प्रोसेसिंग फीस किसी भी आवेदक को पुर्नभुगतान/समायोजन योग्य नहीं होगी।

नोट : यदि आवेदन पत्र मण्डल की वेबसाइट www.rhbonline.rajasthan.gov.in से डाउनलोड करके आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो पंजीकरण राशि के साथ फार्म की कीमत रूपये 500/– तथा प्रोसेसिंग फीस की राशि रूपये 2000/– व रूपये 1500/– पंजीकरण राशि की डी.डी./पे आर्डर में शामिल कर आवेदन पत्र के साथ जमा करवानी होगी।

12. आवेदकों की आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की संगणना आवेदक की कुल वार्षिक आय में पति/पत्नी तथा आश्रितों की कुल वार्षिक आय को सम्मिलित कर की जावेगी। कुल आय में निम्नांकित स्त्रोतों से हुई आय सम्मिलित होगीः–

(अ) स्वंय के लिए –

1. वेतन
2. विशेष वेतन
3. मंहगाई भत्ता तथा अतिरिक्त मंहगाई भत्ता
4. शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता
5. गृह/सम्पति/व्यापार से आय
6. विनियोग से ब्याज
7. कोई अन्य आय जो आयकर के प्रयोजनों हेतु आय के रूप में हो।

(ब) आवेदक की पत्नी/पति की आय उपरोक्तानुसार।

(स) आवेदक के आश्रित की आय उपरोक्तानुसार।

13. यदि आवेदक का पंजीकरण आवेदन पत्र में किसी कमी के कारण से मण्डल द्वारा स्वीकार योग्य नहीं है तो आवेदक की जमा राशि में से प्रशासनिक व्यय के विरूद्ध 5 प्रतिशत राशि की कटौती करते हुए शेष राशि रेखांकित चैक से रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आवेदन पत्र में अंकित पते पर लौटा दी जायेगी। इस अवधि का मण्डल द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

14. इस योजना में कुल प्राप्त आवेदन पत्रों में से वर्गानुसार उपलब्ध आवासों की संख्या के बराबर सफल आवेदकों की लॉटरी द्वारा वरीयता निर्धारित कर दी जायेगी। लॉटरी के पश्चात शेष असफल रहे आवेदकों को उनकी जमा पंजीकरण राशि का रिफण्ड (बिना ब्याज) रेखांकित चैक से उनके आवेदन पत्र में अंकित पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेज दिया जायेगा।

15. स्ववित्त पोषित योजना के पंजीकृत आवेदकों से निर्माण कार्य आदेश जारी करने के पश्चात् आरक्षण पत्र जारी करते हुए अनुमानित लागत की निम्नानुसार राशि प्राप्त की जायेगी :–

तालिका–4

क्र. सं.	आवासों का प्रकार	किश्त	आरक्षण पत्र में प्राप्त की जाने वाली राशि	
			समयावधि	राशि
1.	बहुमंजिले आवास	प्रथम किश्त	1 माह	15.0 %
		द्वितीय किश्त	4 माह	15.0 %
		तृतीय किश्त	7 माह	15.0 %
		चतुर्थ किश्त	10 माह	15.0 %
		पंचम किश्त	13 माह	10.0 %
		षष्ठम् किश्त	16 माह	10.0 %
		सप्तम् किश्त	19 माह	10.0 %

16. स्ववित्त पोषित आवासीय योजना में सामान्यतः फ्लैटों का आवंटन ओवदकों के द्वारा आरक्षण राशि की समस्त किश्तें जमा होने पर ही किया जाता है, किन्तु उक्त योजना में फ्लैटों का निर्माण प्रगति के दृष्टिगत आरक्षण राशि की प्रथम अथवा द्वितीय किश्त जमा होने के पश्चात् भी आवासों का आवंटन करने को मण्डल स्वतंत्र होगा।

17. इस योजना के अन्तर्गत फ्लैटों का निर्माण कार्य "डिपोजिट कार्य" की तरह से होगा। अतः आवेदकों द्वारा जमा कराई गई राशि पर आरक्षण पत्र जारी होने के पश्चात मण्डल द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

(अ) आवेदकों को **तालिका–4** के अनुसार जारी किये जाने वाले आरक्षण पत्रानुसार निर्धारित तिथि तक वांछित किश्तों की राशि जमा करानी होगी। विलम्ब से जमा की जाने वाली किश्त की राशि पर आवेदक द्वारा 6 माह तक 18 प्रतिशत वार्षिक दर से शास्ती/ब्याज देना होगा। इसके पश्चात आवेदक का आरक्षण/आवंटन स्वतः निरस्त माना जावेगा।

(ब) तालिका–4 के अनुसार जारी आरक्षण पत्र में वांछित किश्तें आवेदक द्वारा जमा नहीं कराने पर आवेदक का वर्तमान में कराये गये स्ववित्त पोषित योजना का पंजीकरण/आरक्षण निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आवेदक के उल्लेखित पूर्व मूल पंजीकरण को भी निरस्त कर दिया जायेगा।

18. इस स्ववित्त पोषित योजना में पंजीकरण कराने वाले पूर्व पंजीकृत आवेदकों को उनकी पूर्व पंजीकरण राशि पर, पंजीकरण कराने की तिथि से आरक्षण पत्र जारी होने की तिथि तक नियमानुसार ब्याज देय होगा। पूर्व पंजीकृत आवेदक की पूर्व में जमा राशि का समायोजन (बिना ब्याज) देय प्रथम किश्त में किया जायेगा तथा शेष राशि बिन्दु संख्या 15 के अनुसार आरक्षण पत्र में उल्लेखित तिथि तक जमा करानी होगी। जमा राशि पर ब्याज का समायोजन आवंटन पत्र में किया जायेगा।

19. प्रस्तावित योजना किन्हीं अपरिहार्य कारणों से मूर्तरूप नहीं ले पाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदकों को उनकी स्ववित्त पोषित योजना की जमा पंजीकरण राशि 6 प्रतिशत सामान्य ब्याज सहित लौटा दी जायेगी।

20. **रिफण्ड**

(i) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात तथा वरीयता लॉटरी के आयोजन से पूर्व यदि कोई आवेदक योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से कोई कटौती नहीं करते हुए पंजीकरण राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।

(ii) योजना की वरीयता लॉटरी के आयोजन के पश्चात तथा आरक्षण पत्र जारी करने से पूर्व यदि कोई आवेदक इस योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से 5 प्रतिशत की कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।

(iii) आरक्षण पत्र जारी होने के पश्चात यदि कोई आवेदक इस योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से 20 प्रतिशत कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।

(iv) इस योजना का आरक्षण पत्र जारी होने के पश्चात यदि आवेदक आरक्षण राशि की किश्तें देय होने के बाद जमा राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उस तिथि तक देय राशि (पंजीकरण+आरक्षण राशि) में से 20 प्रतिशत की कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी। उदाहरण के लिए यदि आवेदक द्वितीय आरक्षण राशि देय होने के पश्चात जमा राशि लौटाने का निवेदन करता है तो पंजीकरण राशि, प्रथम आरक्षण राशि तथा द्वितीय आरक्षण राशि की कुल राशि में से 20 प्रतिशत कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी। आवेदक द्वारा आरक्षण राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में भी कटौती की गणना हेतु देय आरक्षण राशि को सम्मिलित करते हुए ही कटौती की जायेगी।

(v) यदि स्ववित्त पोषित योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन करने वाला आवेदनकर्ता पूर्व पंजीकृत है तो ऐसी स्थिति में बिन्दु संख्या (i), (ii), (iii) एवं (iv) के अनुसार कटौती की जावेगी तथा आवेदनकर्ता का पूर्व पंजीकरण भी निरस्त कर दिया जावेगा।

(vi) उपरोक्त प्रावधानों में किसी भी अवस्था में अधिकतम कटौती स्ववित्त पोषित योजना की पंजीकरण राशि तक ही समिति होगी।

21. आवासीय इकाई से संबंधित सामान्य क्षेत्रों के उपयोग, मरम्मत, देखभाल तथा सम्मिलित सेवाओं जैसे जीना (स्टेयर केस) अहाते की दीवार, बगीचे, खुले, स्थान इत्यादि के प्रयोग तथा रख–रखाव के लिए प्रत्येक आवंटी को, आवंटियों की एक पंजीकृत संस्था (रजिस्टर्ड एजेन्सी) का सदस्य होना अनिवार्य होगा। रख–रखाव का खर्चा सोसायटी के माध्यम से आवंटी द्वारा वहन किया जावेगा। इस आशय की अण्डर–टेकिंग देने पर ही आवंटी को फ्लैट का कब्जा दिया जावेगा।

22. आरक्षण पत्र के अनुसार प्रथम अथवा द्वितीय किस्त की राशि जमा कराने वाले आवेदको को देख–रेख योजना के अर्न्तगत निर्माण कार्य की प्रगति के दौरान ही फ्लेटों का आवंटन कर दिया जायेगा, आवंटी द्वारा निर्धारित मांग राशि, जमा कराने पर भवन निर्माण के समय आवंटी को देख–रेख योजना के अर्न्तगत आवास के अवलोकन का अधिकार होगा।

23. आवास आवंटन लॉटरी के कार्यक्रम की घोषणा समाचार पत्रों के माध्यम से की जायेगी। इसमें आवेदक द्वारा आरक्षण राशि की देय किश्तें जमा करवाकर चालान की प्रतियां कार्यक्रम की निर्धारित अवधि में कार्यालय में प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को वरीयता क्रमानुसार आवंटन लाटरी में सम्मिलित किया जायेगा।

24. मण्डल निर्मित फ्लैटों की वास्तविक लागत कार्य पूर्ण होने के पश्चात निश्चित करने हेतु पूर्णतः स्वतंत्र है एवं इस संबंध में मण्डल का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

25. आवंटन लॉटरी में आवेदक को फ्लैट के नम्बर आवंटित हो जाने के पश्चात् फ्लैट का आवंटन पत्र जारी किया जायेगा, जिसमें फ्लैट की शेष बकाया मांग राशि एवं जमा कराने की समयावधि का उल्लेख किया जाकर आवेदक को सूचित किया जावेगा। निर्धारित अवधि में फ्लैट की मांग राशि जमा नहीं कराने पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए मण्डल द्वारा फ्लैट का आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा तथा आवेदक का पंजीकरण भी निरस्त किया जाकर मण्डल प्रावधानों के अनुरूप कटौती करते हुये आवेदक की जमा, शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।

26. मण्डल के वर्तमान प्रावधानों के अनुरूप फ्लैट के आवंटन पत्र में वर्णित विविध खर्चे देय होंगे जिनका मकान के लागत (विक्रय मूल्य) में समावेश नहीं किया गया है। ऐसे खर्चे निम्न प्रकार के होंगेः–

(क) लीज राशि : यह राशि भूमि की कुल कीमत पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से वसूलनीय होगी। **(ख) ए.एस.सी. चार्जेज** : यह राशि आवास की कुल लागत का 3 प्रतिशत की दर से वसूलनी होगी। **(ग) सेवा कर** : यह राशि आवंटन पत्र की कुल मांग राशि की 3.09 प्रतिशत की दर से वसूलनी होगा। **(घ) विधिक शुल्क** : मण्डल के आवंटियो द्वारा दायर विभिन्न परिवादो के लिए मण्डल द्वारा वहन किये जा रहे व्यय हेतु निम्न आय वर्गानुसार राशि वसूलनी होगी।

आ.दृ.से कमजोर आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग–'अ'	मध्यम आय वर्ग–'ब'	उच्च आय वर्ग
200/–	300/–	500/– रुपये	1000/– रुपये	2000/– रुपये

(ख) **अन्य खर्चे :**

(i) निर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक अतिरिक्त भूमि व कॉर्नर आवासों के लिए नियमानुसार अतिरिक्त राशि वसूल की जायेगी।

(ii) अन्य विविध खर्चे जो कि मण्डल समय–समय पर निर्धारित करें।

27. मंडल के आवास/ फ्लैट केवल रिहायशी प्रयोजन हेतु उपयोग में लिये जावेंगे। आवास/ फ्लैट में आवंटी किसी प्रकार का वाणिज्यिक निर्माण नही करा सकेगा और न ही वाणिज्यिक उपयोग करेगा। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर आवास का आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।

28. सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के नियम संख्या 17 व 18 में अभिकथित संबंधित विभागों द्वारा मांग किये जाने पर आवंटी को संपत्ति पर समस्त करों का भुगतान करना होगा जैसे आवास सम्पत्ति कर, नगर निगम कर, विकास कर इत्यादि। इसके अतिरिक्त योजना के निवासियों की पंजीकृत सोसायटी द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों की पालना करनी होगी, साथ ही सोसायटी द्वारा निर्धारित सदस्यता शुल्क व अन्य शुल्क आवंटी को वहन करने होंगे।

29. यदि आवेदक, शपथ पत्र/आवेदन पत्र में कोई गलत सूचना देता है या कोई तथ्य छिपाता है तो उसका पंजीकरण तुरन्त रद्द कर दिया जावेगा। यदि फ्लैट का आवंटन हो गया हो तो भी मंडल ऐसे आवंटन को रद्द करने तथा आवास/ फ्लैट का कब्जा वापस लेने के लिए सक्षम होगा। आवेदक की जमा राशियों में से नियमानुसार कटौती करते हुए शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।

30. किसी नुकसान के होने से या वस्तुओं के चोरी चले जाने से बचने की दृष्टि से, निम्नांकित फिटिंग/फिक्सचर आदि का कार्य आवासन मंडल द्वारा आवंटी को कब्जा देने की वास्तविक तारीख से एक माह के भीतर पूर्ण कर दिया जायेगा :–

1. विद्युत/फिटिंग/फिक्सचर
2. सेनेटरी फिटिंग
3. अंतिम पुताई यदि कब्जा देने से पूर्व नहीं की गई हो।

31. मंडल अपनी योजनाओं/आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन कर सकता है व परिणामस्वरूप यदि कोई अतिरिक्त कार्य करवाया जाता है तो ऐसा व्यय आवंटी को वहन करना होगा। विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होने पर मण्डल योजना में प्रस्तावित सेक्टरों के स्थान पर अन्य सेक्टरों में आवास/ फ्लैट उपलब्ध कराने का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा, तथा इस विषय में आवंटी का कोई विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।

32. योजना को पूर्ण एवं आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा।

33. पंजीकरण/आरक्षण/आवंटन मण्डल द्वारा बनाये गये नियमों/आदेशों/उप–बन्धों/ परिपत्रों के तहत होगा। मंडल अपने द्वारा बनाये गये नियमों, आदेशों तथा परिपत्रों को बनाने/परिवर्तन करने के लिए पूर्णतः सक्षम होगा और ये पंजीकृत आवेदकों के लिए पूर्णतया लागू होंगे।

34. सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के नियम 19 के अनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि **आवंटी को स्वयं सम्पत्ति की परिस्थितियों से पूर्णतः परिचित होना चाहिये और बाद में किसी** आगामी Stage पर सम्पत्ति की परिस्थितियों के संबंध में शिकायत करने, आपत्ति उठाने या मांग करने का अधिकार नहीं होगा।

35. पंजीकरण की राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक द्वारा जमा की जायेगी। बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक का पूर्ण विवरण अर्थात् संख्या, दिनांक तथा संबंधित बैंक जिससे बैंकर चैक/ड्राफ्ट प्राप्त किया गया है, चालान में निर्धारित स्थान पर अंकित किया जावे। बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक **"राजस्थान आवासन मण्डल"** के पक्ष में जोधपुर में देय होना आवश्यक है। आवेदन–पत्र, संलग्न चालान, बैंक ड्राफ्ट तथा वांछित दस्तावेजों सहित डाक या स्वयं के द्वारा **उप आवासन आयुक्त, वृत–द्वितीय, जोधपुर के पते पर या निर्धारित बैंकों में निर्धारित दिनांक तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् पंजीकरण आवेदन फार्म स्वीकार नहीं किया जायेगा।**

36.(अ) आवेदक अपने पत्राचार के पते में परिवर्तन की सूचना उप आवासन आयुक्त, वृत–द्वितीय जोधपुर कार्यालय के पते पर देवें। पते में परिवर्तन की सूचना नही देने के कारण अथवा आवेदक की गलती से पत्र आवेदक को प्राप्त नहीं होने की दशा में मडल द्वारा कोई आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी। **पता परिवर्तन कराते समय वांछित दस्तावेजों की छायाप्रतियों के साथ पूर्ण वरीयता क्रमांक अवश्य लिखें। आवासन मण्डल द्वारा पता परिवर्तन की स्वीकारोक्ति के पश्चात ही पता परिवर्तन मान्य होगा। अतः आवेदक को परामर्श है कि इस संबंध में आवासन मण्डल से सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यालय से पता परिवर्तन किए जाने की जानकारी प्राप्त कर लेवें।**

(ब) आवेदक द्वारा ऐसे स्थान जहां सामान्यजन का प्रवेश वर्जित हो, का पता अंकित करने की स्थिति में मण्डल द्वारा जारी पत्राचार प्राप्ति में होने वाले विलम्ब अथवा पत्राचार प्राप्त नहीं होने के लिए मण्डल उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आवेदकों को परामर्श है कि वह समय–समय पर मण्डल के संबंधित कार्यालय के सम्पर्क करते रहें तथा समाचार पत्रों व मण्डल की वेबसाईट www.rhbonline.rajasthan.gov.in के द्वारा भी जानकारी प्राप्त कर लेवें।

37. **वित्तीय सुविधायें :** आवासन मण्डल से मकान लेने वाले आवेदक/आवंटी वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले सकते हैं। इस बाबत् मण्डल द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र/त्रिपक्षीय अनुबंध पत्र जारी किए जाएंगे।

38. **आवेदक को आवेदन पत्र के साथ स्वयं एवं निवास के पते का प्रमाण यथा– पेन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेन्स, राशन कार्ड, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल, बैंक पास बुक अथवा अन्य कोई मान्य फोटो युक्त दस्तावेज में से (वांछित दस्तावेजों की) एक–एक स्व–हस्ताक्षरित/ सत्यापित प्रति संलग्न करना होगा।**

39. आवेदन पत्र के कॉलम संख्या 8 में आवेदक द्वारा केवल पत्र व्यवहार का पता अंकित किया जाए तथा आवेदन पत्र पर केवल उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए, जो इस योजना के अन्तर्गत आवास/फ्लैट लेना चाहता है।

40. **आवेदन पत्र में किसी विवरण को हटाने, मिटाने या उसके ऊपर काटकर दुबारा लिखना निषेधित है। अतः आवेदन कर्ताओं को परामर्श है कि आवदेन पत्र को भरते वक्त पूर्ण सावधानी बरतें तथा उपरोक्त स्थित में आवेदक स्वंय पूर्ण हस्ताक्षर करें।**

41. मण्डल द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार करते समय समस्त आवेदकों की पात्रता की जांच किया जाना सम्भव नहीं है। अतः मिथ्या कथन, तथ्यो को छुपाने अथवा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर कालान्तर में यदि आवेदक पंजीकरण हेतु अपात्र पाया जाता है, तो उस आवेदक का पंजीकरण आवेदन/आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताओं नोटिस जारी किये निरस्त कर दी जावेगी तथा मण्डल के प्रचलित नियमों अनुसार कटौती करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी।

42. मण्डल द्वारा समय समय पर मांगे गये शपथ पत्र/वचनबद्धता/अन्य आवेदन/अन्य प्रपत्र इत्यादि स्व हस्ताक्षरित हो एंव आवेदक द्वारा उन पर अपना नवीनतम फोटो चस्पा करते हुए उन्हें नियमानुसार राजपत्रित अधिकारी/नोटरी पब्लिक से सत्यापित कर प्रस्तुत करना होगा।

43. सेवा कर इत्यादी का भुगतान आवंटी द्वारा किया जायेगा।

महत्वपूर्ण बिन्दु :–

i. इस योजना में आवेदन करने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक हो तथा आवेदन के समय आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम न हो।

ii दो आरक्षित वर्गों के लिए योग्यता रखने वाले आवेदकों को किसी भी एक आरक्षित वर्ग के अन्तर्गत पंजीकरण कराने का आवेदन पत्र में उल्लेख करना अनिवार्य होगा तथा पंजीकरण राशि उसी के अनुरूप जमा करानी होगी।

iii. आवेदन–पत्र में आवेदक ने आय के स्वरूप वाले कॉलम में वैतनिक अथवा अवैतनिक का उल्लेख नहीं किया तो वेतन प्रमाण–पत्र के अभाव में आवेदक को अवैतनिक श्रेणी में माना जावेगा।

iv. अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के आवेदकों को आरक्षित श्रेणी तथा पंजीकरण राशि में छूट का लाभ लेने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

v "आरक्षित श्रेणियों अर्थात अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से विकलांग/युद्ध में शहीद हुए सैनिक की विधवाओं/भूतपूर्व सैनिक/विधायक/सांसद/ अधिस्वीकृत पत्रकार/स्वतंत्रता सैनानी/शौर्य पुरस्कार प्राप्त सैनिक/ऐशियाड/ औलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी आदि के द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना अनुसार अपेक्षित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति के साथ शपथ–पत्र नवीनतम फोटो के साथ प्रस्तुत करना होगा।

vi. आवेदन पत्र में उत्तराधिकारी का मनोनयन पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहिन, पुत्र/पुत्री, पौत्र/पौत्री एवं पुत्रवधु में से ही किया जा सकेगा।

vii. लॉटरी से जो भी आवास आवंटित होगा उसे परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

viii. इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत आवेदक अन्य योजना व शहर में स्थानान्तरण नहीं करवा सकेंगे।

ix. आवास आवंटन/कब्जे के बाद आवास का रख–रखाव स्वयं आवंटी द्वारा किया जायेगा।

x. योजना के तहत कोई भी न्यायिक विवाद जोधपुर शहर की सीमा के अन्तर्गत ही होंगे।

xi. योजना में एक व्यक्ति का स्वतंत्र अथवा सयुंक्त रूप से केवल एक ही आवेदन पत्र स्वीकार्य होगा।

xii. आवासन मण्डल की योजना में राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निष्पादन विनियम 1970 के प्रावधान मान्य होंगे।

xiii. आवंटी से यह उम्मीद की जाती है कि उनको आवंटित फ्लैट/ आवास में उपलबध कराई गई सभी सुविधाओं को भली–भॉंति देख ले। आवंटी द्वारा मण्डल से कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् फ्लैट/ आवास में किसी कमी के लिए मण्डल उत्तरदायी नहीं होगा।

xiv उक्त योजना के माध्यम से आवंटित फ्लैट/आवास किन्हीं कारणों से यदि निरस्त किया जाता है या अवशिष्ठ हो जाता है तो ऐसे अवशिष्ठ आवास का निस्तारण खुली बिक्री योजना अथवा नीलामी के माध्यम से करने के लिए मण्डल स्वतंत्र होगा।

आवेदन पत्र पुस्तिका (Booklet) राजस्थान आवासन मण्डल के निम्नलिखित बैंको से रुपये 500/– नकद देकर व्यक्तिशः अथवा रुपये 550/– का बैंक ड्राफ्ट/पे–ऑर्डर जो कि राजस्थान आवासन मण्डल (Rajasthan Housing Board) के पक्ष में जोधपुर स्थित किसी भी बैंक में देय हो, भेजकर डाक से प्राप्त किया जा सकता है।

आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं जमा करवाने हेतु निर्धारित बैंक

शहर का नाम	कार्यालय का नाम, पता एवं दूरभाष नम्बर
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया ओंकारमल सोमानी कॉलेज शाखा, कमला नेहरू नगर, जोधपुर फोन : 0291–2752592	**कार्यालय उप आवासन आयुक्त** राज. आवा. मण्डल, वृत– II, सेक्टर 11 चौपासनी योजना, जोधपुर फोन नं. 0291–2711919
ICICI बैंक **सेक्टर 18, चौ.हा.बोर्ड, जोधपुर** **फोन : 0291–3247139**	**आवासीय अभियन्ता,** खण्ड– प्रथम, सेक्टर 11 चौपासनी योजना राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर फोन नं. 0291–2700180
एच डी एफ सी बैंक केशव कॉम्पलेक्स, पावटा, जोधपुर फोन : 0291–5111405	

सभी आवेदकों के लिए

शपथ–पत्र

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....
आयु.....................वर्ष, जाति................................ निवासी ....
....एत्‌दद्वारा सशपथ बयान करता/करती हूँ किः–

1. यह कि मैने स्ववित्त पंजीकरण योजना–2014 चौपासनी हा. बोर्ड... (शहर का नाम) में .... आय वर्ग में बहुमंजिले आवास आवंटन हेतु आवेदन–पत्र संख्या .... के द्वारा आवेदन किया है।

2. यह कि मेरे द्वारा आवास आवंटन से सम्बन्धित मण्डल नियमों का अध्ययन कर लिया गया है एवं मेरे आवास आवंटन करने के आवेदन मात्र से मुझे आवास प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

3. यह कि उक्त आवेदन–पत्र के तहत पंजीकरण होने के पश्चात् मण्डल द्वारा समय–समय पर आवास से संबंधित मांग राशि यदि मेरे द्वारा निर्धारित अवधि में जमा नहीं करवायी जाती है तो मण्डल बिना सूचना दिये पंजीकरण / आवंटन निरस्त करने का अधिकारी होगा।

4. यह है कि मेरे स्वयं की गलती के कारण मण्डल द्वारा उक्त पंजीकरण/ आवंटन निरस्त किया जाता है तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा।

हस्ताक्षर शपथ गृहिता

सत्यापन

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... निवासी .... सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त पेरा 1 से 4 में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं, वे मेरी निजी जानकारी में पूर्णतया सत्य है, मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है।

शपथ गृहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

(शपथ पत्र 10/– रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटेरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए)

शपथ–पत्र

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... आयु.....................वर्ष, जाति............................... निवासी ....एत्दद्वारा सशपथ घोषणा करता/करती हूँ किः–

1. मैं भारत का/की नागरिक हूं।
2. मेरे स्वयं अथवा मेरी पत्नी/पति या मुझ पर आश्रित संबंधी के पास जोधपुर शहर में फ्री होल्ड अथवा लीज होल्ड किसी भी प्रकार का पूर्ण या आंशिक फ्लैट/भूखण्ड नहीं है।
3. मेरे स्वयं अथवा मेरी पत्नी/पति या मुझ पर आश्रित संबंधी के पास पूर्व में राज्य के .... शहर में आवासन मण्डल से सामान्य/विशिष्ट/स्ववित्त पोषित पंजीकरण योजना, खुली बिक्री एवं नीलामी आदि द्वारा भूखण्ड/आवास संख्या .... योजना .... में आवंटित है/आवंटित था।
4. यह कि मेरा आवेदन स्वीकार होने पर मैं आवासन मण्डल द्वारा समय–समय पर मांग की गई राशियां जमा नहीं करता हूं तो आवासन मण्डल बिना किसी सूचना के मेरा पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार रहूंगा।
5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त कथन तथा आवेदन पत्र में दिये गये सभी तथ्यों में कोई मिथ्या कथन नहीं किया गया है तथा ना ही कोई तथ्य छिपाया गया है, ना ही किसी प्रकार का छल या कपट किया गया है। भविष्य में ऐसी कोई बात मण्डल के संज्ञान में आती है तो आवेदन पत्र/ आवंटन पत्र को निरस्त करने के साथ मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए मण्डल स्वतंत्र होगा।
6. यह कि मेरे द्वारा .... स्थित मण्डल की ....योजना में भी आवेदन किया गया है। यदि उक्त योजना में भी मुझे आरक्षित कर लिया जाता है तो मैं किसी भी एक योजना में ही आरक्षण की पात्रता रखूंगा तथा दूसरी योजना का रिफण्ड स्वतः ही प्राप्त कर लूंगा।

हस्ताक्षर शपथ गृहिता

सत्यापन

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... निवासी .... सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त पेरा 1 से 6 में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं, वे मेरी निजी जानकारी में पूर्णतया सत्य है, मैंने कोई भी तथ्य छिंपाया नहीं है।

शपथ गृहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

(शपथ पत्र 10/– रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटेरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए)

आय प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाताहै कि श्री/श्रीमती .... पुत्र/पत्नी श्री .... इस विभाग/उपक्रम/कम्पनी/संस्था (विभाग/संस्था का नाम) .... में .... पद पर कार्यरत हैं एवं ये (केन्द्र/राजस्थान सरकार अथवा केन्द्र/राजस्थान सरकार के उपक्रम/प्राईवेट सेक्टर के) नियमित कर्मचारी है। इनकी सकल मासिक आय रूपये .... प्रतिमाह है।

विभागाध्यक्ष
के हस्ताक्षर
विभाग/उपक्रम/प्राईवेट सेक्टर का नाम

अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण–पत्र

यह प्रामणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .... पुत्र/पत्नी श्री .... निवासी .... जिला......................... संभाग .. .. राज्य............................... जाति .... के सदस्य है जो अनुसूचित जाति/जनजाति (सूची) संशोधन अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति में है।

हस्ताक्षर
तहसीलदार
(कार्यालय की मोहर सहित)

अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए

प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .... पुत्र/पत्नी श्री .... निवासी ग्राम .... जिला .... अधिस्वीकृत पत्रकार है। इनका समाचार–पत्र/पत्रिका (नाम) .... नियमित रूप से प्रकाशित होता/होती है।

हस्ताक्षर

सक्षम अधिकारी

सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय

भूतपूर्व सैनिकों के लिए/सैन्य विधवा प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .... पुत्र/पत्नी स्व. श्री .... निवासी .... सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक है/युद्ध में शहीद सैनिक की विधवा है/युद्ध में हताहत हुए विकलांग सैनिक है।

सचिव

राज्य/जिला सैनिक कल्याण बोर्ड

(यह प्रमाण पत्र केवल भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवा आवेदकों को संलग्न करना अनिवार्य है।)

प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .... पुत्र/पत्नी श्री .... निवासी .... जिला .... स्वतंत्रता सेनानी है। इन्हें वर्ष .... में राज्य सरकार द्वारा ताम्र–पत्र/प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।

हस्ताक्षर
जिलाधीश/उप सचिव/
सहायक सचिव
(सामान्य प्रशासन विभाग)
राजस्थान सरकार, जयपुर

शौर्य पदक प्राप्त सैनिकों के लिए

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .... पुत्र/पत्नी श्री .... निवासी .... ने वर्ष .... में निम्नलिखित शौर्य पदक प्राप्त किये।

1. ....
2. ....
3. ....

सचिव
राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड

राजस्थान के विधायकों/सांसदो के लिए

प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .... पुत्र/पत्नी श्री .... क्षेत्र .... विधानसभा/ लोक सभा/राज्यसभा के सत्र .... के सदस्य है।

हस्ताक्षर
महासचिव/सचिव/
लोकसभा/राज्यसभा/विधानसभा
सचिवालय

भूतपूर्व विधायकों/सांसदो के लिए

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .... पुत्र/पत्नी श्री .... विधानसभा क्षेत्र/लोकसभा क्षेत्र/राज्यसभा, जिला.................................. से सत्र .... में सदस्य रहे हैं एवं भूतपूर्व विधायक/सांसद है।

हस्ताक्षर
महासचिव/सचिव/
लोकसभा/राज्यसभा/विधानसभा
सचिवालय

आय प्रमाण–पत्र हेतु शपथ–पत्र

शपथ पत्र

मैं...पुत्र/पत्नी/पुत्री/पति/श्रीमती/श्री.. .... आयु .... जाति .... निवासी .... (अनुसूचित जाति/जनजाति यदि है तो अंकित करें) सशपथ बयान करता/करती हूं :–

1. कि मेरे परिवार की वर्ष 2013 - 2014 में वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से निम्न प्रकार थी :
   - अ. स्वंय की आय, व्यापार, उद्योग, एजेन्सी, कृषि उद्योग दुकान या अन्य स्त्रोतों से .... रूपये थी।
   - ब. मेरे पति/पत्नी, अवयस्क पुत्र/पुत्री/दत्तक पुत्र/दत्तक पुत्री की व्यापार, उद्योग, एजेन्सी दुकान अथवा कृषि उद्योग एवं अन्य स्त्रोतों से वार्षिक आय .... रूपये थी।
   - स. कि वित्तीय वर्ष 2013 - 2014 में मेरे परिवार के कुल आमदनी .... रूपये थी।

शपथ गृहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

सत्यनिष्ठा

मैं...पुत्र/पत्नी/पुत्री/पति/श्रीमती/श्री.. .... जाति .... निवासी .... सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूं कि उपरोक्त तथ्य मेरी जानकारी में है एवं सत्य हैं मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है।

शपथ गृहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

(उपरोक्त शपथ–पत्र 10/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प व 10/– रूपये का नोटेरियल स्टाम्प पेपर पर आवेदक द्वारा नोटेरी पब्लिक/प्रथम श्रेणी दण्डनायक/कार्यपालक दण्डनायक अधिकारी अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।)

GENERAL SPECIFICATIONS OF CONSTRUCTION

1R.C.C. Foundations (Raft)

2.R.C.C. work in slab, lintel, Column

3.Block/Brick masonry in superstructure in cement sand mortar.

4.Plaster in cement sand mortar.

5.Tiles flooring.

6.Steel Door/Window Frames.

7. Flush door shutters with steel fittings.

8. Interior distemper/paint and Exterior Texture Paints

9. CP Toilet fittings, Kitchen, Sink and Vitreous China WC/ Wash basin

10. Concealed PVC conduits with stranded (flexible) copper wire, MCBs.

11. Granite Kitchen table top

12. Power Backup for common services.

13. Fire fighting provision.

14. Lift for each tower.

15. Compound wall for campus.

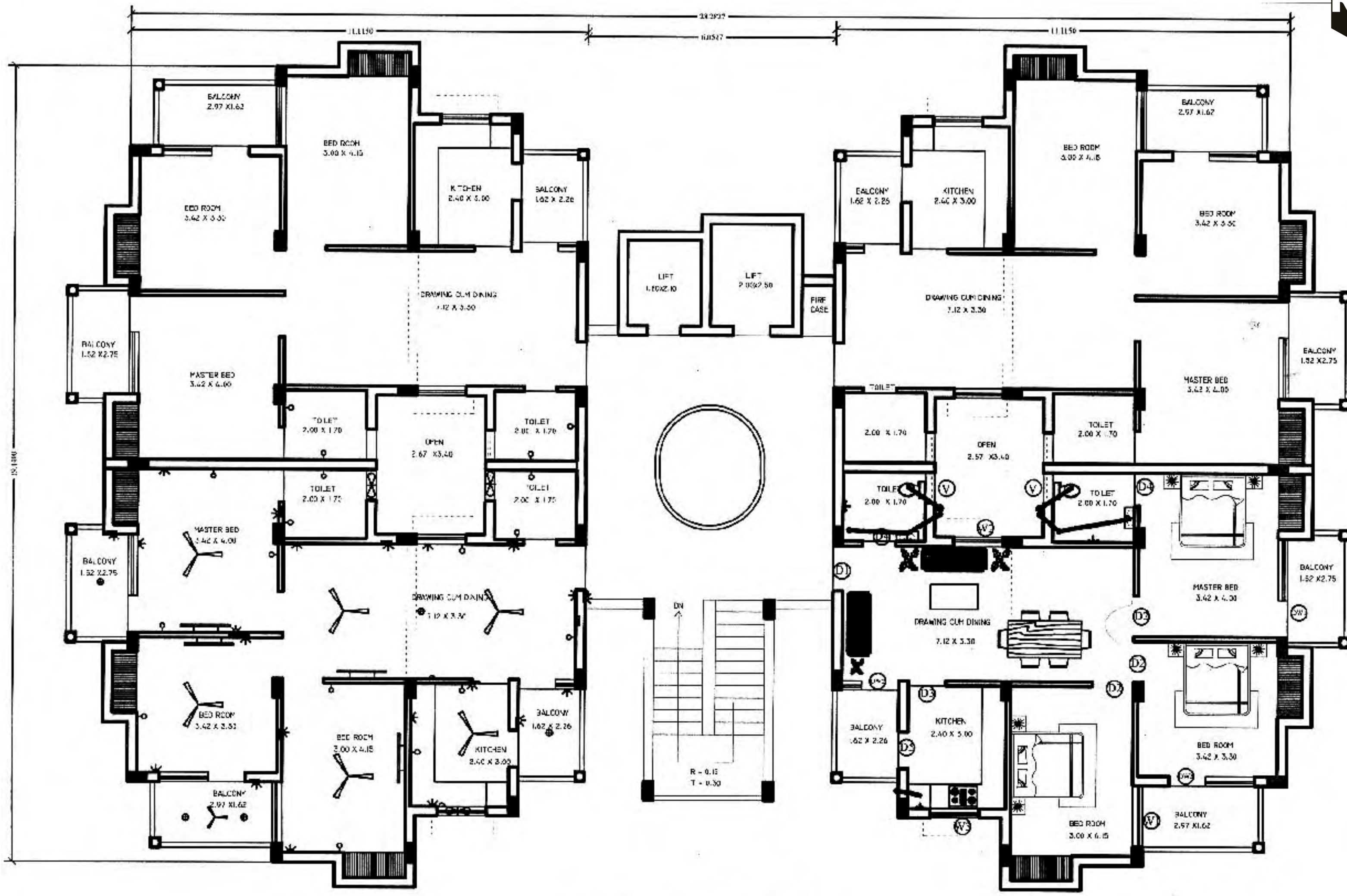

TYPICAL PLAN MIG 'B'

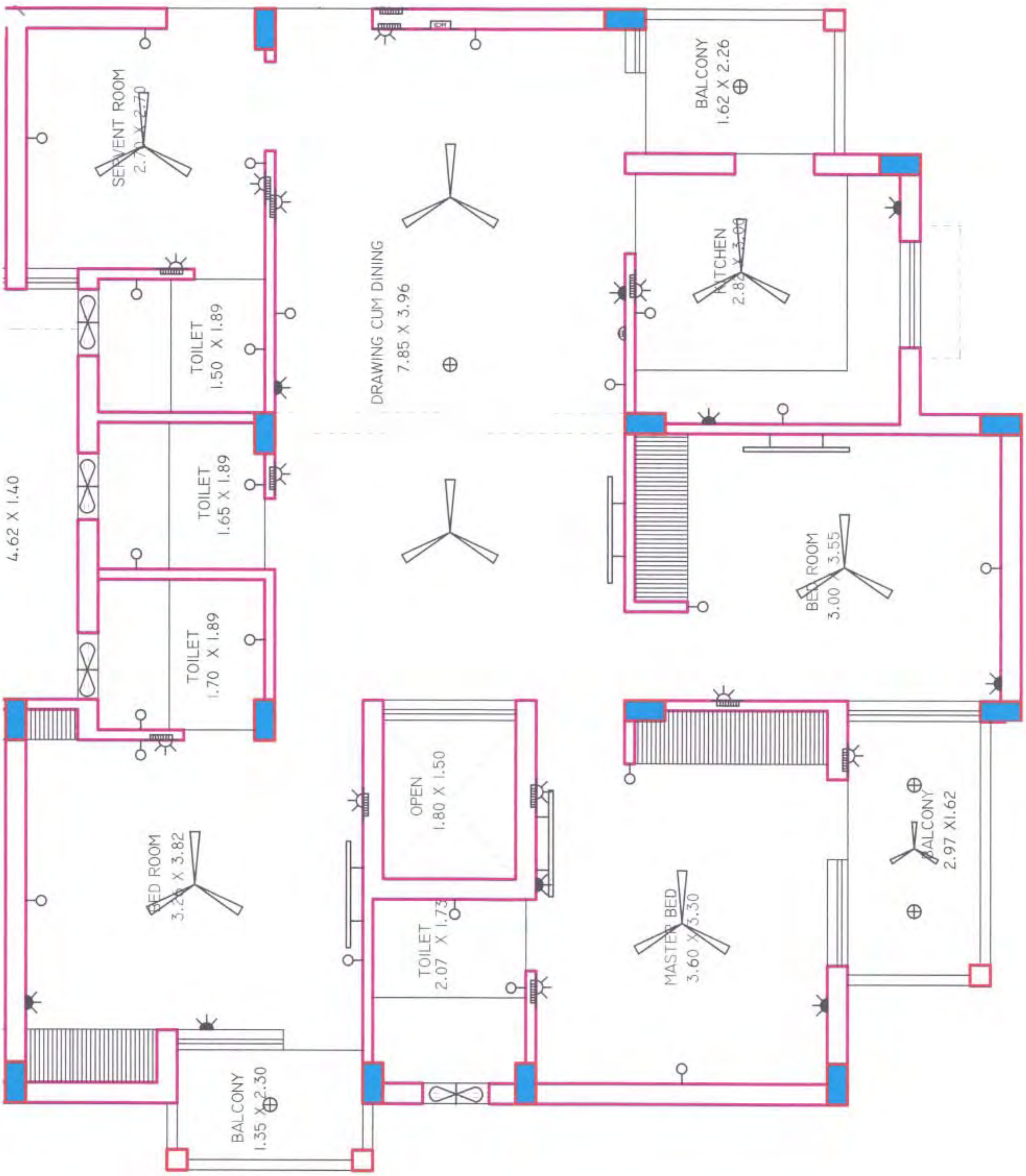

SINGLE FLAT PLAN HIG

TYPICAL PLAN HIG

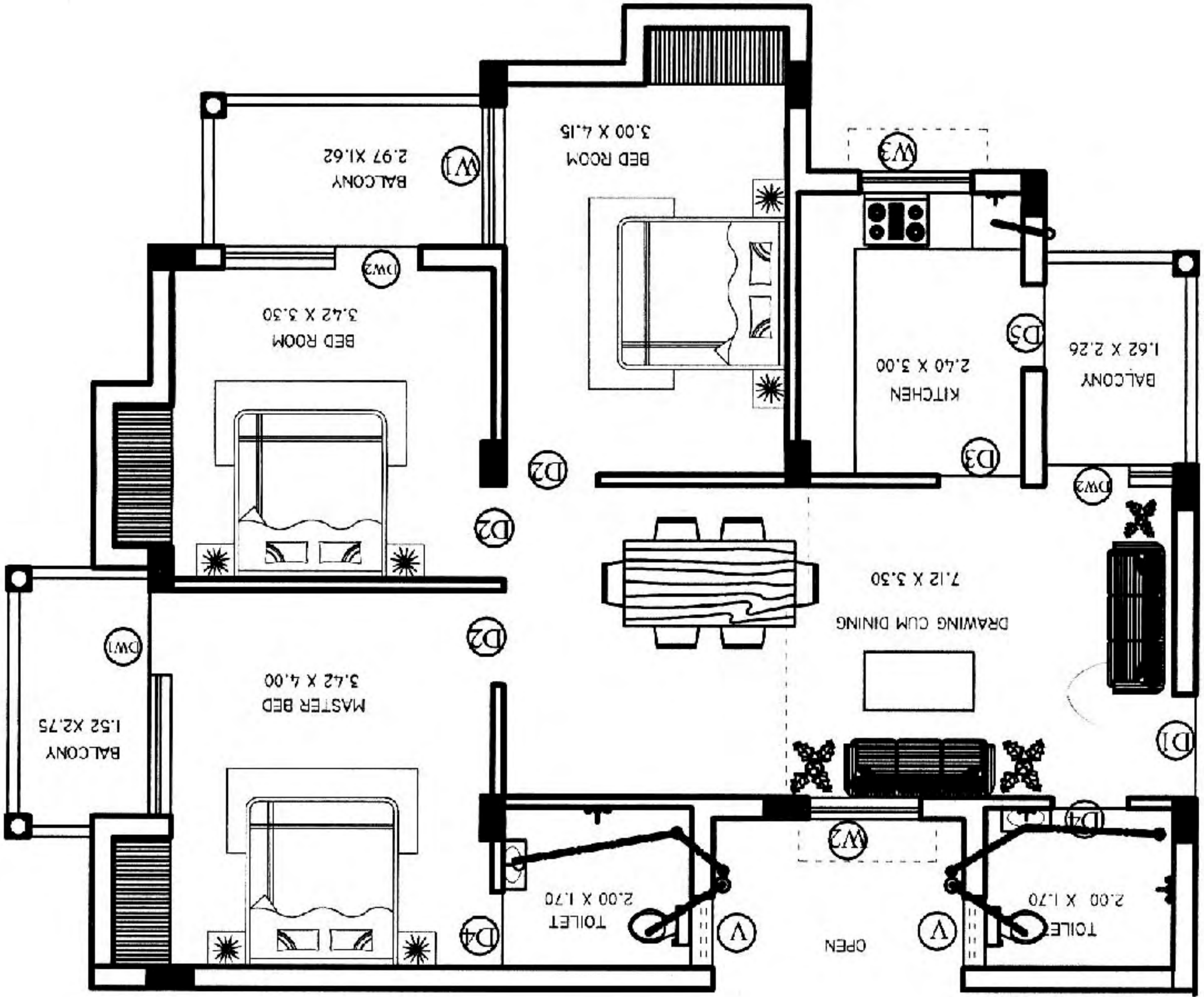

SINGLE FLAT PLAN MIG 'B'

मूल्य : 500/– रूपये

राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर

कार्यालय : उपआवासन आयुक्त (वृत–द्वितीय)

मारवाड़ अपार्टमेंट स्ववित्त पोषित योजना 2014

सेक्टर – 14, चौपासनी आवासीय योजना, जोधपुर में

उच्च आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग 'ब' बहुमंजिले (B+S+9) फ्लेट हेतु

आवेदक/आवेदिका का नवीनतम फोटो

आवेदन क्रमांक ....

vkonu&i=

1.	आवेदक/आवेदिका का नाम (आवेदक स्वयं का नाम स्पष्ट अंकित करें इसमें किसी प्रकार की काटछांट नहीं करें)	श्री/श्रीमती..
2.	पिता/पति का नाम (आवेदक कॉलम की पूर्ति हेतु किसी प्रकार की काटछांट नहीं करें)	श्री..
3.	जन्म तिथि	....
4.	राष्ट्रीयता	....
5.	स्वयं की पहचान हेतु वांछित दस्तावेज (सत्यापित छाया प्रति संलग्न करें)	पैन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/ ड्राइविंग लाइसेन्स/बिजली/पानी/टेलीफोन बिल /अन्य फोटोयुक्त मान्य दस्तावेज............................
6.	भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र (यू. आई.डी.) नम्बर (यदि हो तो)	....
7.	व्यवसाय का स्वरूप इंगित (√) करें (आवेदक कॉलम की पूर्ति हेतु किसी प्रकार की काटछांट नहीं करें)	वैतनिक ☐ ☐ अवैतनिक
8.	आवेदक का पता (दस्तावेज संलग्न करें) (मण्डल द्वारा इसी पते पर पत्र व्यवहार किया जायेगा)	.... दूरभाष नं. ....मोबाइल नं....................... ई–मेल पता ....
9.	आवेदक/आवेदकों की कुल वार्षिक आय (रु. में) (वित्तीय वर्ष 20..........–20..........) पैन नम्बर, (लागू हो तो) .... **(आवेदक कॉलम की पूर्ति हेतु किसी. प्रकार की काटछांट नहीं करें)**	
	(अ) स्वयं की	
	(ब) पत्नी/पति की आय	
	(स) आश्रितों की आय	
	कुल वार्षिक आय : (अ+ब+स)	
10.	यदि आवेदक पूर्व पंजीकृत है तो पंजीकरण प्रपत्रों की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करें	
	क. आय वर्ग जिसमें पंजीकरण हुआ है:	
	ख. पंजीकरण का वर्ष	
	ग. वरीयता क्रमांक :	
	आवेदित पंजीकरण का विवरण	
11.	पंजीकरण राशि रु0	वर्तमान आवेदित आय वर्ग ....
12.	बैंक ड्राफ्ट सं. बैंक का नाम	.... दिनांक ....रु. ....

राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर

आवेदन क्रमांक

कार्यालय : उपआवासन आयुक्त (वृत–द्वितीय)

मारवाड़ अपार्टमेंट स्ववित्त पोषित योजना 2014

सेक्टर – 14, चौपासनी आवासीय योजना, जोधपुर में

उच्च आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग 'ब' बहुमंजिले (B+S+9) फ्लेट हेतु

श्री/श्रीमती .... से ....वर्ग हेतु.....................

.... योजना के अन्तर्गत ऊपर वर्णित क्रमांक का आवेदन पत्र प्राप्त किया।

मय बैंक ड्राफ्ट संख्या.....................दिनांक..............बैंक का नाम...

शाखा...

(उपरोक्त समस्त पूर्तियाँ आवेदक स्वयं करें)

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता

13.	निम्नांकित तालिका में अपना वर्ग (श्रेणी) इंगित (√) करें (प्रमाण—पत्र संलग्न करें)

जी—1 वैतनिक श्रेणी— **प्रथम**— (केन्द्र सरकार के कर्मचारी तथा राज्य सरकार के बोर्ड/निगम के कर्मचारी/प्राईवेट सेक्टर में कार्यरत कर्मचारी **द्वितीय**— (राज्य सरकार के कर्मचारी, अधिकारी)	जी—2 प्रथम – सामान्य श्रेणी जी—2 द्वितीय – प्रोफेशनल श्रेणी......... केवल प्रोफेशनल एडवोकेट, चार्टड अकाउन्टेंट एवं प्राईवेट डॉक्टर।
जी—3 मण्डल कार्मिक (बोर्ड कर्मचारी)	जी—4 अनु.जाति
जी—5 अनु. जनजाति	जी—6 वर्तमान एवं भूतपूर्व विधायक/सांसद/अधिस्वीकृत पत्रकार
जी—7 स्वतंत्रता सैनानी	जी—8 भूतपूर्व सैनिक एवं सैनिकों की विधवाऐं
जी—9 विकलांग (अन्धता,/शारीरिक मूक बधिर)	जी—10 वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिक एवं एशियाड/आलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी

14.	आवेदको की बैंक सम्बंधी जानकारी	(A) IFSC Code Complete .... (B) Complete Account No. .... (C) Type of A/c Saving/Current/NRI	(D) Bank Name :.. (E) Bank Branch Address :.................................... (F) Mobile No.::..

15. **संलग्नक :**

- i स्वयं की पहचान का फोटोयुक्त दस्तावेज
- ii पैन नम्बर (लागू हो तो) और भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र नम्बर (यदि हो तो)
- iii पते का प्रमाण पत्र
- iv आय का प्रमाण पत्र
- v पूर्व पंजीकरण से संबंधित प्रमाण प्रपत्र (यदि कोई हो)
- vi पंजीकरण राशि का बैंक ड्राफ्ट
- vii श्रेणी विशेष का प्रमाण पत्र
- viii स्वयं अथवा पति—पत्नी अथवा आश्रितों के नाम कोई भूमि/भवन न होने संबंधी शपथ पत्र।
- ix अन्य वांछित प्रमाण—पत्र/शपथ पत्र।

16 **घोषणा :—**

1. मैं इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान में सही है और कुछ भी छुपाया नहीं गया है।
2. मैं इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने इस आवेदन प्रपत्र के साथ किये गये पंजीकरण के अनुबन्धों एवं शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया तथा समझ लिया है और मैं उनका पालन किये जाने के लिए सहमत हूँ।
3. मेरा या मेरे आश्रितों का आवेदित शहर क्षेत्र, जिसमें पंजीकरण के लिए आवेदन कर रहा/रही हूँ, में पूर्णतया अथवा भाग रूप में, फ्री होल्ड या पट्टे के आधार पर भूखण्ड या आवास नहीं है।
4. मेरा या मेरे आश्रितों को आवेदित शहर में किसी भी पद्धति यथा सामान्य/विशिष्ट/स्ववित्त पोषित पंजीकरण योजना, खुली बिक्री अथवा नीलामी द्वारा पूर्व में मण्डल से किसी भी श्रेणी/माप का आवास आरक्षित/आवंटित नहीं है।
5. मेरा आवेदन स्वीकार होने पर मैं आवासन मण्डल द्वारा समय—समय पर मांग की गई राशियां जमा नहीं कराता हूं तो आवासन मण्डल बिना किसी सूचना के मेरा पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार रहूंगा।
6. मेरी मृत्यु होने की दशा में, मैं निम्नलिखित व्यक्तियों को अधिमानक्रम में नाम निर्देशित करता/करती हूँ:—

क्र.सं.	नाम	आयु	सम्बन्ध
प्रथम			
द्वितीय			
तृतीय			

सत्यापित
(नोटरी पब्लिक/राजपत्रित अधिकारी)
मुहर के साथ

हस्ताक्षर आवेदक/ आवेदिका
नाम : ....
स्थान : ....
दिनांक : ....

आवेदक द्वारा भरा जावे

राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर

कार्यालय : उपआवासन आयुक्त (वृत–द्वितीय)

मारवाड़ अपार्टमेंट स्ववित्त पोषित योजना 2014

सेक्टर – 14, चौपासनी आवासीय योजना, जोधपुर में
उच्च आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग 'ब' बहुमंजिले (B+S+9) फ्लेट हेतु

क्र. सं.	आवेदन पत्र पूर्ण करने के पश्चात् आवेदक द्वारा चैक किए जाने वाले बिन्दु			आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् कार्यालय द्वारा चैक किए गए बिन्दु	
1	क्या आवेदक का नाम / पिता का नाम अंकित है?	हाँ / नहीं		हाँ / नहीं	
2	क्या आवेदक द्वारा अपना हाल ही में खिंचवाया गया फोटो यथास्थान चिपकाया है?	हाँ / नहीं		हाँ / नहीं	
3	क्या आवेदक के फोटो पहचान–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न है (आवेदन पत्र में दिए विवरणानुसार)	हाँ / नहीं		हाँ / नहीं	
4	क्या आवेदक के पते के प्रमाण–स्वरूप दस्तावेज संलग्न है (आवेदन पत्र में दिए विवरणानुसार)?	हाँ / नहीं		हाँ / नहीं	
5	क्या आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के विवरणानुसार पेनकार्ड की प्रति संलगन की है?	हाँ / नहीं		हाँ / नहीं	
6	क्या आय वर्ग आवेदक की आय के अनुसार सही दर्शाया गया है?	हाँ / नहीं		हाँ / नहीं	
7	क्या आय वर्ग प्रमाण–पत्र संलग्न किया है?	हाँ / नहीं		हाँ / नहीं	
8	क्या आवेदक आरक्षित आय वर्ग में आता है?	हाँ / नहीं		हाँ / नहीं	
9	क्या आरक्षित वर्ग के लिए प्रमाण–पत्र संलग्न है?	हाँ / नहीं		हाँ / नहीं	
10	क्या पंजीकरण राशि जमा है?	हाँ / नहीं		हाँ / नहीं	
11	क्या पंजीकरण राशि आय वर्ग के अनुसार सही है?	हाँ / नहीं		हाँ / नहीं	
12	क्या वांछित राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न है?	हाँ / नहीं		हाँ / नहीं	

हस्ताक्षर आवेदक

कार्यालय उपयोग हेतु

1. आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया एवं आवेदक द्वारा उपरोक्तानुसार विवरण सही पाया गया।
2. आवेदक का ग्रुप है जी–1 / जी–2 / जी–3 / जी–4 / जी–5 / जी–6 / जी–7 / जी–8 / जी–9 / जी–10
3. आवेदक द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार आवेदन पत्र योग्य / अयोग्य पाया गया।
4. अन्य टिप्पणी ....

का.सहायक / सहायक   कार्यालय अधीक्षक   स.आवासन अधिकारी / सम्पदा प्रबन्धक

आवेदक द्वारा भरा जावे

राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर

पंजीकरण हेतु परीक्षण सूची

1.	क्रमांक नं./ लोट नम्बर		
2.	आवेदन पत्र क्रमांक		
3.	आवेदक का नाम		
4.	आवेदक के पिता/ पति का नाम		
5.	जन्म तिथि		
6.	आवेदक की पहचान का प्रमाण	पेनकार्ड नम्बर	
		पासपोर्ट नम्बर	
		ड्राइविंग लाईसेन्स नम्बर	
		वोटर आईडी कार्ड नम्बर	
7.	स्थाई पत्र व्यवहार का पता		
	दूरभाष नं. व मोबाइल नम्बर		
8.	अस्थाई पत्र व्यवहार का पता		
9.	आय का विवरण	स्वयं की आय	
		पत्नी / पति की आय	
		आश्रित की आय	
		कुल आय	
10	आवेदक यदि पूर्व में पंजीकृत है तो उसका विवरण।	पंजीकरण वर्ष	
		श्रेणी वं भुगतान पद्धति	
		वरीयता क्रमांक	
11.	श्रेणी	मध्यम आय वर्ग–ब उच्च आय वर्ग	
12.	भुगतान पद्धति	स्ववित्त पोषित	
13.	वर्ग (G-1 .... G-10)		
14.	स्थाई बैंक खाता संख्या एवं बैंक का नाम, जहाँ पर पंजीकरण राशि असफल होने की स्थिति में वापिस लौटाई जा सके।		
15.	पंजीकरण राशि	रु.	
16.	बैंक ड्राफ्ट जारी करने वाले बैंक का नाम		
17.	उत्तराधिकारी का नाम व विवरण		

आवेदन संख्या

राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर

मारवाड़ अपार्टमेंट स्ववित्त पोषित योजना 2014

सेक्टर – 14, चौपासनी आवासीय योजना, जोधपुर में
उच्च आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग 'ब' बहुमंजिले (B+S+9) फ्लेट हेतु

प्रथम प्रति
बैंक प्रति
(आवेदक द्वारा भरा जावे)

1. आवेदक/आवेदिका
   का नाम ....
2. पत्र व्यवहार का पता:..
   ....
   ....
   ....
3. भुगतान पद्धति : स्ववित्त पोषित
4. आय वर्ग : ....
5. बैंक डी.डी. नम्बर : ....
   बैंक का नाम: ....
   बैंक की शाखा : ....
   दिनांक : ....
6. पंजीकरण राशि (अंको में)..
   (शब्दों में)..
   ....
   दिनांक : ....
   स्थान : ....

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदन संख्या

राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर

मारवाड़ अपार्टमेंट स्ववित्त पोषित योजना 2014

सेक्टर – 14, चौपासनी आवासीय योजना, जोधपुर में
उच्च आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग 'ब' बहुमंजिले (B+S+9) फ्लेट हेतु

द्वितीय प्रति
सम्पदा प्रबन्धक प्रति आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की जाये
(आवेदक द्वारा भरा जावे)

1. आवेदक/आवेदिका
   का नाम ....
2. पत्र व्यवहार का पता:..
   ....
   ....
   ....
3. भुगतान पद्धति : स्ववित्त पोषित
4. आय वर्ग : ....
5. बैंक डी.डी. नम्बर : ....
   बैंक का नाम: ....
   बैंक की शाखा : ....
   दिनांक : ....
6. पंजीकरण राशि (अंको में)..
   (शब्दों में)..
   ....
   दिनांक : ....
   स्थान : ....

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदन संख्या

राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर

मारवाड़ अपार्टमेंट स्ववित्त पोषित योजना 2014

सेक्टर – 14, चौपासनी आवासीय योजना, जोधपुर में
उच्च आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग 'ब' बहुमंजिले (B+S+9) फ्लेट हेतु

तृतिय प्रति
आवेदक प्रति
(आवेदक द्वारा भरा जावे)

1. आवेदक/आवेदिका
   का नाम ....
2. पत्र व्यवहार का पता:..
   ....
   ....
   ....
3. भुगतान पद्धति : स्ववित्त पोषित
4. आय वर्ग : ....
5. बैंक डी.डी. नम्बर : ....
   बैंक का नाम: ....
   बैंक की शाखा : ....
   दिनांक : ....
6. पंजीकरण राशि (अंको में)..
   (शब्दों में)..
   ....
   दिनांक : ....
   स्थान : ....

आवेदक के हस्ताक्षर